संपादकीय

भारत के कृषि केन्द्र बिन्दु जो कि पंजाब और उत्तर–प्रदेश हैं, वहां जल्दि ही चुनाव होने वाले हैं। गरीब किसानों को चुनावी वादों का वही पुराना स्वर सुनाई देने लगा है कि ऋण माफ करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाऐंगे और निशुल्क या सस्ती बिजली देंगे। यह दुख की बात है कि दरबारियों से घिरे हुऐ राजनेता जो खेती नहीं करते हैं और नऐ चुनावी नारे भी नहीं दे सकते हैं।

चुनाव घोषणा पत्र के इस मौसम में कई विकल्प ऐसे हैं जिनसे राज्य सरकारों पर बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के वे चुनाव जित सकती हैं। स्पष्ट शब्दों में कहूँ में पंजाब को चुनता हूँ, इसलिऐ नहीं की में पंजाब से हूँ बल्कि इस राज्य में विष के समान शराब का बोलबाला है और वहां अच्छा वातावरण और समृद्ध अर्थव्यवस्था एक दुस्वपन है।

औसतन एक पंजाब के किसान पर रू. 5 लाख से अधिक का कर्ज है। लगभग 10,000 किसान इस कृषि प्रधान राज्य में पिछले 10 वर्षों में आत्महत्या कर चुके हैं। जबकि वहां पर पानी, अच्छी भूमि और अतिरिक्त आय के रूप में कृषि सहायता के खाते रू. 9,000 करोड़ वार्षिक की दर से दिया जाता है, यह पैसा उर्वरक और बिजली जैसे घटकों सहित है। इस राशि में से छोटे लगभग 34 प्रतिशत किसानों को केवल 9 प्रतिशत राशि ही मिलती है। कृषि सहायता उपकरणों या मशीनरी के उपयोग पर आधारित है इस कारण कोई किसान कम भूमि पर खेती करता है तो उसे कम राशि ही मिल पाती है।

व्यापक शब्दों में किसी राज्य के राजस्व पर बिना अतिरिक्त बोझ के हम वर्तमान मशीनरी या उपकरणों, जिनसे बड़े किसानों को लाभ होता है, के स्थान पर रू. 90,000 – रू. 90,000 10 लाख किसानों के खाते में सीधे नकद जमा करा सकते हैं चाहे उनके पास कितनी मात्रा में ही भूमि हो। इसके बदले में आशा है कि किसान बिजली या उर्वरक बाजार मूल्यों पर खरीदेंगे। किंतु इसके लिऐ सहायता राशि के स्थान पर उर्वरकों या बिजली के मूल्यों की प्रतिपूर्ति पर विचार करना होगा। यह ट्रांसफर की गई राशि आय नहीं है बल्कि इससे 70 प्रतिशत किसानों को वास्तिविक लाभ होगा। संसाधनों के वितरण से समाज में भी समानता लाना संपूर्ण समृद्धि की कुंजी है।

कुल किसानों का 70 प्रतिशत भाग महिलाओं का है और घर की महिला सदस्य के खाते में सीधा पैसा जमा कराने से निश्चित रूप से बेहतर परिणाम आऐंगे। किसी किसान के खाते में रू. 90,000 की राशि जमा कराने से राजनैताओं को भी समान लाभ मिलेगा, जबकि एक भारतीय किसान की औसत आय रू. 77,000 से भी कम है।

किसान महसूस करता है कि 'बचाया गया पैसा ही कमाया हुआ पैसा है', इससे उत्पादन कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। किसान दालों जैसी फसलें उगाना शुरू करेंगे, जिसमें कम लागत की आवश्यकता होती है और इससे भारत में व्यापक फसल विविधिकरण का लक्ष्य भी प्राप्त होगा। ईंधन, पानी, उर्वरकों जैसी मूल सामग्री का समझदारी से उपयोग करने का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप कीटनाशकों से भी कम हो रहे पानी के स्रोत्रों की भी बचत होगी। उर्वरक भूमि बनेगी, जैव विविधता आऐगी और मानव स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस कार्य को एक आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में किया जाऐ, जिससे विश्व व्यापार संगठन की चिंताओं में भी कमी आऐगी। किंतु इसके लिऐ अतिआवश्यक है कि किसान अपनी पसंद से इस राशि से जैसा चाहे वैसा उपयोग कर पाऐं।

लेकिन स्पने दिखाने वाले व्यापारी जब चुनाव जित जाते हैं तो वे अपने वायदों से मुकर जाते हैं। इसका उदाहरण है, सरकार की प्रेरणा से किसानों ने 32 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि पर मूंग उगाई थी जिसके लिऐ न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. 5,225 की घोषणा की थी। लेकिन जैसा वादा किया था वैसी खरीदें नहीं कि गई और मूंग के भाव रू. 3,500 से निचे रहे, तथा प्रत्येक मूंग उत्पादक को रू. 25,000 की हानि हुई। कुल अनुमानित हानि इस मौसम में रू. 5,000 करोड़ की हो सकती है, जो केवल मूंग उत्पादकों को ही हुई।

जब किसानों की बात आती है तो राजनैतिक दलों के पास चुनाव जितने के केवल दोहरे वादे या एजेंडा होते हैं कि 'लोकप्रिय और लोकलुभावन वायदे किऐ जाऐं तथा दूसरों पर आरोप लगाओ', इनसे केवल जनता या किसानों को ही हानि होती है जैसा ऐम्ब्रोस बरसी ने कहा है 'राजनीति छल कपट करके अपने लाभ के लिऐ संघर्ष करना है और सिद्धांतों की प्रतियोगिता में यह छल कपट से अधिक कुछ नहीं'।

वित्त विकास : नबॉर्ड शैली

श्री हर्ष कुमार भानवाला – अध्यक्ष, नबॉर्ड

आने वाले 6 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प कि दिशा में सरकार के संरक्षण में पिछले 2 वर्षों में कई पहलें आरंभ कि गई हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसका लक्ष्य प्रत्येक खेत को सिंचाई सुविधा देना है – 'हर खेत को पानी' – जल का कुशलता पूर्वक उपयोग बढ़ाना – 'प्रति बूंद से अधिक उत्पादन' – परंपरागत खेती जिससे कृषि उत्पादन स्थिर रहे, खाद्य और कृषि प्रसंसाधन पर ध्यान, प्रत्येक किसान को कॉर्ड जारी करने के माध्यम से समान्य रूप से भूमि का स्वास्थ्य बनाऐ रखना, राष्ट्रीय कृषि मंडियों के माध्यम से किसानों की आय में यथासंभव वृद्धि करना और अन्य पहल के रूप में नई फसल बिमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की गई है।

नबॉर्ड विशेष रूप से किसान उत्पादक संस्थानों (एफपीओ) पर ध्यान केन्द्रीत कर रहा है। इस देश के छोटे और मझौले किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुऐ इन एफपीओ को बनाने, संचालित करने और स्थाई रूप से चालू रखने की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त औसत कम भूमि के स्वामित्व की संख्या में भी कमी करने की आवश्यकता है। उत्पादक संगठनों की विशिष्टताओं को बनाने के उपाय और उन पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है और हर्ष का विश्य है कि कुछ राज्य सरकारें, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उन्होंने कई ऐसी संस्थाओं को संचालित भी कर दिया है। नबॉर्ड से कहा गया है कि अगले 2 वर्षों में कम से कम 2,000 एफपीओ का गठन करे जो अभी तक 2,200 नऐ एफपीओ बना चुका है।

गैर सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करना नबॉर्ड के लिऐ लाभदायक रहा है, बहुपक्षिय और द्वीपक्षिय आधार पर वित्त देने वाली संस्थाऐं, कॉर्पोरेट्स तथा अनुसंधान संस्थाओं के अच्छे परिणाम आऐ हैं और इन सबके सामूहिक प्रयासों से एसएचजी बैंक संपर्क कार्यक्रम आरंभ करने में सहायता मिली है और ग्रामीण बुनियादी सुविधाऐं प्रदान करने के लिऐ एक परियोजना प्रबंधन का निर्माण भी हुआ है। इसी के परिणामस्वरूप किसान क्रेडिट कॉर्ड आरंभ किया गया है, भूमिहिन किसानों और मझौले किसानों के लिऐ संयुक्त सहयोग समूह वित्त का विकास, अनुकूल आजिविका के लिऐ विकसित औजार तथा प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करने के लिऐ प्रोत्साहित करना शामिल है ताकि बदलती जलवायु की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

कृषि क्षेत्र में राज्यों को शामिल करना

प्रौफेसर विजय पॉल शर्मा – अध्यक्ष, कृषि लागत एवम् मूल्य आयोग

किसानों की आय दौगुनी करने का कार्य दे दिया गया है। अगला मुद्दा यह है कि इसे कैसे करें और क्या अगले 6 वर्षों में इसे किया जा सकेगा अथवा इस समय सीमा पर विचार करने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिऐ 3 या 4 घटक शामिल हैं। किसानों की आय को कैसे परिभाषित करें जिसके लिऐ हर तरफ धुंधलापन और निराशा है क्योंकि आय की कोई ठोस परिभाषा नहीं दी गई है। किसान की आय में जो कुछ खेती से आता है उसे आय माना जाऐ अथवा गैर कृषि क्षेत्र से आने वाली आय को ही किसान की आय माना जाऐ।

कृषि क्षेत्र में कुछ करने के लिऐ निम्नलिखित आवश्यकताऐं महसूस की जा रही हैं:

- सबसे पहले कृषि पर निर्भरता में कमी करना जिस पर बहुत अधिक संख्या में लोग निर्भर हैं। यदि समिकरणों को देखा जाऐ तो प्रति खेत के आधार पर प्रति किसान परिवार की औसत कृषि आय बढ़ेगी। अब प्रश्न है कि आय में वृद्धि कैसे की जाऐ, इसका उत्तर है कि उत्पादकता में सुधार और फसल उगाने के समय के अंतर में कमी की जाऐ। अधिकतम फसलों विशेषकर दालों और तिलहनों, वास्तिविक समस्या के क्षेत्र, इनमें वर्तमान तकनिक अपनाकर भी लेकिन अच्छे औजारों और अन्य सेवाओं के कारगर उपयोग से इनकी उत्पादकता 30 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।
- दूसरा, उत्पादन/सिंचाई की लागत में कमी। अधिकतम क्षेत्र जैसे उर्वरक, सिंचाई, पानी और ऐसी अन्य सेवाओं में अधिक मात्रा में अक्षमता देखी गई है, इसकी लागत कम करने से इस क्षेत्र की कमीओं को दूर किया जा सकता है।
- तीसरा, खाद्य वस्तुओं को नष्ट होने का समाधान जैसे, फसल के बाद होने वाली हानि में कमी लाऐ जाऐ, विशेषकर महंगी फसलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाऐ। खेद का विषय है कि महंगी खाद्य वस्तुओं की बर्बादी अधिक हो रही है जैसे, फल एवम् सब्जियां, पशुधन या मछलीपालन क्षेत्र, इनके लिऐ कोई कारगर विक्रय पद्धति या बुनियादी सुविधाऐं उपलब्ध नहीं हैं। ध्यान देना होगा की उत्पादकता बढ़ाने के लिऐ बर्बादी को कैसे रोका जाऐ ताकि किसानों और उत्पादकों को कम से कम हानि हो तथा किन–किन क्षेत्रों का लक्ष्य रखा जाना चाहिऐ ?

इस कार्य को सभी राज्यों के स्तर पर अधिक करने की आवश्यकता है और प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि राज्य सरकारों को इस महत्वपूर्ण कार्य में कैसे शामिल किया जाऐ। इसका उत्तर है कि राज्य सरकारों के साथ अधिक से अधिक परामर्श किया जाऐ, उनसे विचार मांगे जाऐं। अन्य राज्यों में भी मध्य–प्रदेश का उदाहरण दिया जा सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के स्थान पर सामूहिक प्रयास करने होंगे और तब पता लगाना होगा कि राज्य स्तर पर क्या कुछ हो रहा है और क्या किया जा सकता है। यह कार्य नीचले स्तर से ही आरंभ करना होगा, जैसे की ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, राज्य लेवल और इसके बाद समेकित स्तर पर।

कतीपय राज्यों में बागवानी का क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्र हो सकता है तो अन्य राज्यों में मछलीपालन के कार्य का महत्व हो सकता है। इन क्षेत्रों में आय का वास्तविक अनुमान नहीं है या इसकी क्या परिभाषा होनी चाहिऐ और कोई नहीं जानता किसानों की आय का ऐसा मूल स्तर कौन सा हो जिससे उसकी आय का निर्धारण किया जा सके, इस आय को किस स्तर तक ले जाना चाहिऐ। कृषि के विभिन्न प्रकार और बहुत बड़े क्षेत्रों की अलग–अलग संख्या है, लेकिन हमें 4 महत्वपूर्ण स्तंभों से शुरूआत करनी होगी:

- तकनीक
- संस्थाऐं
- मूल या आधारभूत सुविधाऐं
- प्रोत्साहन का ढ़ांचा जिसमें मूल्य नीति और व्यापार नीति शामिल है तथा विवादास्पद आर्थिक सहायता का मुद्दा

तकनीकी के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिऐ अच्छे बीज महत्वपूर्ण हैं लेकिन अधिक ध्यान इन क्षेत्रों में लागत कम करने पर देना चाहिऐ जैसे पानी के कुशल उपयोग में सुधार, उर्वरक के उपयोग में सुधार और अन्य उपकरणों का बेहतर ढंग से उपयोग और सबसे महत्वपूर्ण नई तकनीक का लाभ उठाने के प्रयास करना। सूचना प्रौघोगिकी का किसानों को तकनीक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, चाहे ज्ञान का प्रचार हो अथवा नई तकनीक अपनाने का प्रचार हो।

जहां तक संस्थाओं को प्रश्न है ये छोटे किसानों के पास छोटे–छोटे खेत होने के कारण उनकी कम आय की मूल समस्या से चिंतित हैं। भारत के लगभग दो–तिहाई किसानों के पास 1 एकड़ से भी कम कृषि भूमि है। संस्था के सुधार भूमि स्वामित्व के समेकन पर निर्भर करते हैं। दूसरा है किराऐ पर खेती के क्षेत्र में सुधार, इसकी नीति आयोग ने जांच की और अपनी सिफारिशें भी प्रस्तुत कर दी हैं। समस्या यह है कि राज्य सरकारों को बाद्य्य करना होगा कि वह भूमि स्वामित्व की मात्रा को बढ़ाने के उपायों पर विचार करे।

सार्वजनिक विस्तार सेवाओं के स्थान पर निजी विस्तार पद्धति पर विचार करने में बहुत अधिक समय व्यर्थ किया जा चुका है। निष्कर्श में भारत जैसे देश को सार्वजनिक विस्तार सेवाओं पर बड़े पैमाने पर विचार करना चाहिऐ। इन प्रयासों में निजि विस्तार की पद्धति इसका अनुपूरक अथवा कुछ सहायक हो सकती हैं लेकिन निजि क्षेत्रों से इस समस्या के समाधान के लिऐ अधिक अपेक्षा नहीं करनी चाहिऐ, हालांकि उन्हें इस अभियान में शामिल किया जाना चाहिऐ।

तीसरा, ऋण का मुद्दा है और बार–बार यहि बात होती है कि कृषि क्षेत्र में अधिक राशि व्यय कि जा रही है, लेकिन यह राशि वास्तविक उत्पादन क्षेत्र में खर्च की जा रही है लेकिन निवेश के क्षेत्र में यह कम हो रही है। इसी प्रकार सहकारी संस्थाओं का अंश भी कम हो रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का बहुत मजबूत नेटवर्क है। समस्या यह है कि बहुत से ऐसे क्षेत्रों में ऋण दिया जा रहा है जो किसानों की आय के परिपेक्ष्य में महत्व नहीं रखता।

अन्य मुद्दा किसानों के जौखिम के समाधान का है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना से बहुत आशाऐं हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे किसानों के हित में उपलब्ध आधारभूत सुविधाऐं, संस्थाऐं और मशीनरी का कारगर ढ़ंग से उपयोग। इसी प्रकार सिंचाई के मुद्दे पर बड़ा निवेश करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि सिंचाई क्षमता और वर्तमान संसाधनों से प्रयाप्त मात्रा में सिंचाई करके केसे लाभ उठाया जाऐ इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

बुनियादी क्षेत्र की दुविधा यह है कि किसको क्या करना चाहिऐ क्योंकि सार्वजनिक निजि भागीदारी (पीपीपी) पर विचार विमर्श करने के 10 से 15 वर्षों के बाद भी अभी तक निजि क्षेत्र के निवेश की ही बात हो रही है। इसे

स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसका कारण है कि निजि क्षेत्र मूलभूत ढ़ांचे पर निवेश का इच्छुक नहीं है, चाहे सड़कों की बात हो अथवा सिंचाई सुविधाओं की। निजि क्षेत्र को तो वैल्यू चेन के अंत में आने वाली बुनियादी सुविधाओं के लिऐ रखना चाहिऐ। निजि क्षेत्र को बाजार या विक्रय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिऐ जो कि फसलों के आने के बाद प्रबंधन के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाऐं सर्जित कर सकता है।

निजि क्षेत्र का निवेश वर्तमान में वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है और कृषि उत्पाद विपणन समितियां कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। लंबी अवधि के निवेश और अधिक लागत की वसूली के प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है। निजि क्षेत्र को स्पष्ट मानदंडों से ही प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वह फसल आने के बाद इसकी व्यवस्था में निवेश करे और इसी के लिऐ बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है।

प्रोत्साहन ढांचे के अंतर्गत मूल्य निति और इसे लागू करना शामिल है। सरकार लगभग 23 फसलों के लिऐ न्यूनतम समर्थन मूल्य तो घोषित कर सकती है लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल चावल और गेहूं की ही खरीद की जाती है और वह भी पंजाब, हरियाणा, मध्य–प्रदेश राज्यों से जहां पर 90 से 95 प्रतिशत खरीद की जाती है। इस खरीद निति को अधिक क्षेत्रों के लिऐ घोषित करना चाहिऐ जैसे, विविध फसलों और विभिन्न भौगोलिक स्थितियों और मौसम आदि के लिऐ। इस कार्य के लिऐ राज्य सरकारों की भूमिका को महत्व देने की आवश्यकता है।

राज्य सरकारों को कारगर खरीद या कम से कम बाजार में हस्तक्षेप करने के लिऐ कैसे शामिल किया जा सकता है ? प्रत्येक फसल को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से फसल के भाव निचे जाऐं तो सरकारें इसमें हस्तक्षेप करके कम से कम मूल्यों को तो स्थिर कर सके। जैसे की अधिकतम उत्तरी या उत्तर पूर्वी राज्यों में फसलों के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत कम होते हैं। इस कारण किसानों के हित सुनिश्चित करने हेतु बिना किसी कारगर मशीनरी या पद्धति के समर्थन मूल्य की घोषणाऐं करना व्यर्थ है।

आज के समय की व्यापारिक नीति और कृषि क्षेत्र का पूर्व अनुमान लगाना अति कठिन है और यह गैर पारदर्शी है। इन क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि किसानों को लाभ पहुंच सके। आर्थिक सहायता को समान और लक्ष्य निर्धारित करने की भी आवश्यकता है क्योंकि इसके लिऐ सीमित संसाधनों को उपयोग करना होगा। यह अत्यधिक कठिन प्रश्न है और यदि किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करना है तो इनका समाधान करना होगा। यदि कोई भी इन लक्ष्यों की वास्तविक प्राप्ति करने के लिऐ गंभीर है तो सभी राज्यों के दायित्व निर्धारित करने होंगे और उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना अति महत्वपूर्ण है।

कृषि पर विरोधाभासी रूख

* श्री के.सी. त्यागी, संसद सदस्य, राज्य सभा, जनता दल (यूनाईटेड)

भारत के लिए दाल उपजाए जाने की खबरें चौंकाने वाली हैं। केंद्रीय खाद्यमंत्री रामविलास पासवान द्वारा इस संबंध में दिया गया बयान न सिर्फ देश के किसानों व खेतिहरों के साथ भद्दा मजाक है, बल्कि ऐसे व्क्तव्यों से उनका हौसला भी कमजोर हुआ है। मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद ब्राजील सरकार की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया गया है कि भारत में दाल की कमी को पूरा करने के लिए वह अपनी जमीन पर भारतीय बीजों से दाल का उत्पादन कर देश की मांग को पूरी करेगा। प्रस्ताव के बाद भारत सरकार इस प्रक्रिया को मूर्तरूप देने में लग गई है। प्रस्तावित योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर ब्राजील से दाल खरीदी जाऐगी। खाद्य मंत्रालय का मानना है कि दाल के लिऐ विभिन्न देशों पर निर्भर रहने के बजाए एक देश पर निर्भर रहना ही सही है। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा मोजांबिक के साथ अफ्रीकी देशों से दालों का आयात बढ़ाने के लिए समझौता किया जा चुका है। खाने–पीने व रोजमर्रा की अन्य वस्तुओं की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने की सरकार की मंशा वाजिब है, परंतु अपने देश के सबसे बडे जनसंख्या समूह के साथ भी कोई ऐसा प्रयोग करना जिससे उनकी रोजी–रोटी प्रभावित हो सकती है, तर्कसंगत नहीं। एक तरफ मंत्रालय घरेलू उत्पादन बढ़ाने की प्रतिबद्धता जाहिर करता है और दूसरी तरफ विदेशों पर निर्भरता बढ़ाने का काम कर रहा है। मूलतः भारत एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 65 फीसद आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पर आश्रित है। दिन–प्रतिदिन खेती का घटता रकबा पहले से ही चिंता का विषय बना हुआ है।

तमाम प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद यहां के किसान तथा कृषि वैज्ञानिकों की बदौलत देश में हरित क्रांति के दौर देखे जा चुके हैं। गेहूं और चावल के निर्यात में देश दुनिया में सबसे आगे है। दाल, चीनी, फल व सब्जियों के निर्यात में भी देश की अलग पहचान है। इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद किसान अपनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उचित वृद्धि से वंचित ही रहे हैं। इस बाबत राजनीतिक दलों की घोषणाऐं कागजों तक ही सीमित रही हैं। वर्तमान सरकार द्वारा सत्ता में आने से पूर्व एमएसपी पर 50 फीसद का लाभकारी मूल्य देने का वादा भी किया गया था, लेकिन यह भी खोखला ही साबित हुआ। ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो सरकार को बाहरी जमीन पर अनाज पैदा करवाने को मजबूर कर रही है ? जहां तक आपूर्ति की बात है, विश्व का प्रत्येक देश किसी न किसी खाद्य सामग्री के लिऐ दूसरे देश पर आश्रित रहा है। दाल का आयात करना एक अलग विषय है, परंतु दाल की आपूर्ति के लिए अपने देश के किसानों का दरकिनार कर किसी अन्य देश पर आश्रित होना किसानों का अपमान व उनके उत्साह को कम करने का प्रयास है। ब्राजील के साथ दाल उत्पादन के समझौते के बाद भारतीय दाल के उत्पादन में कमी आने की भी संभावना बनती है। ब्राजील के किसानों को दाल का एमएसपी प्रदान करने और यातायात पर उठाए जाने वाले खर्च की बजाय भारतीय किसानों को उचित दाम दिलाकर दाल उत्पादन में तेजी लाने को उनका हौसला बढ़ाया जाए।

हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी किए जाने की बात कही गई है। उनके इस वक्तव्य से किसानों में आस जरूर जगी है, परंतु यह बात जनसभाओं की शोभा बढ़ाने मात्र की साबित होगी। इस दिशा में सबसे पहले संकट यह कि किसानों की आय की वर्तमान में ही कोई निश्चित रूप–रेखा नहीं है तो भविष्य की आय निर्धारित करना दूर की कौड़ी जैसा ही होगा। 2012–2013 के बाद नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा कोई सर्वे नहीं किए जाने के अभाव में वर्तमान आय की स्थिति पर ही संशय बरकरार है। जरूरी है कि वर्ष 2016–2017 के लिए किसानों की आय के मूल्यांकन के लिए सर्वे कराया जाए। वर्तमान आय की स्थिति से यह स्पष्ट हो पाएगा कि वर्ष 2016 की तुलना में 2022 में आय कितनी बढ़ेगी ? प्रधानमंत्री का वक्तव्य

एक और सवाल को जन्म देता है कि वह किसानों की आय कृषि उत्पादों के जरिऐ बढ़ाने की बात कर रहे हैं या किसी अन्य स्रोत से ? खाने–पीने से लेकर उपभोग की प्रत्येक वस्तु की कीमत में चमत्कारी वृद्धि आंकी गई है। बीज, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक, कपड़े, दवाइयां, शिक्षा व चिकित्सा आदि चीजों के बढ़े दाम आम जनों की जीवन शैली तक को प्रभावित कर चुके हैं। बढ़ती महंगाई की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन एक निश्चित अंतराल पर बढ़ते रहते हैं। प्रथम से लेकर छठे वेतन आयोग तक वेतन तय किये जाने का फार्मूला लगभग एकसमान रहा है। प्रति दस वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में लगभग तीन गुनी बढ़ोतरी की गई। विडंबना है कि देश का पेट पालने वाले किसानों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।

कृषि मूल्य एवं लागत आयोग द्वारा 1973–74 में गेहूं का मूल्य रू. 104/– प्रति क्विंटल एवं कपास का मूल्य रू. 240/– प्रति क्विंटल घोषित किया गया था। प्रति दस वर्षों में यदि किसानों के साथ भी समान रवैया अपनाया जाता तो 1984–85 में ही गेहूं का समर्थन मूल्य रू. 312/– प्रति क्विंटल तथा कपास का समर्थन मूल्य रू. 720/– प्रति क्विंटल होता। दुर्भाग्यवश भारतीय किसानों के लिऐ यह दिवास्वप्न जैसा है। प्रत्येक कारोबार में लाभ जरूरी होता है। ग्रामीण संरचना और कृषि को सजिव बनाए रखने के लिए अब समय आ गया है कि अन्य क्षेत्रों व व्यवसायों की तरह किसानों की आय भी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए उन्हें 'समता मूल्य' प्रदान किए जाने के अलावा कोई सटीक विकल्प नहीं है। किसी भी पुराने वित्तवर्ष को आधार वर्ष यानी 'स्टैंडर्ड ईयर' मानकर अन्य वस्तु व सेवाओं के मूल्य में हुई वृद्धि के अनुपात से किसानों को 'समता मूल्य' प्रदान किया जाना देश को संपन्न और खुशहाल बनाने की ओर बड़ा कदम होगा। एक वर्ष पुराने आंकडे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक गेहूं उत्पादक परिवार की मासिक आय रू. 1,793/– है। प्रधानमंत्री की घोषणा के तहत यदि यह आय वर्ष 2022 में रू. 3,600/– हो भी जाती है तो उस परिवार के जीवन में कौन सा सुधार संभव है ? वक्त की जरूरत है कि ग्रामीण भारत की समस्याओं को गंभीरता से संभोधित करते हुए किसानों की आमदनी बढ़ाई जाऐ।